

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (Civil) 400 KV Dn.
CHHATISHGARH STATE POWER TRANSMISSION Co.LTD.

JAGDALPUR

कमांक / का.अ. / सिविल / 400 के.व्ही. / 16-17 / *Camp* दिनांक19.10.2016
प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

विषय :- Diversion of forest land for non- forest purpose under forest conservation Act, 1980 Proposed construction of 220/132/33 KV sub-station by CSPTCL, area 2.680 ha. Ragarding पंजीयन क्र. FP/CG/Others/20983/2016
संदर्भ :- आपका कार्या. पत्र कमांक / मा.वि. / 3767 दिनांक 04.10.2016।

-0300-

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- 01. एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र।
02. उप खण्ड स्तरीय समिति।


कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.क.मर्या. जगदलपुर छ.ग.

FORM-II
(for project other than linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector- Batar

Annexure-II

No.Q/reader/2016

Date 17/10/2016

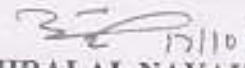
TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.68 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer (civil) Chhattisgarh state power transmission Co. Ltd Jagdalpur Dist Bastar for 200/132 K.V. Sub Station for construction in Bastar District falls within jurisdiction of Mahupal Barei village in Bastar Tehsil.

It is further certified that :-

- (A) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.68 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meetings of the forest rights. Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to Annexure
- (B) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of the forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (C) Each of the concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Mahupal Barei village(s) is enclosed as annexure ---- to annexure -----
- (D) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (E) The diversions of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (F) The rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA

Encl : As above
 Date : 17/10/2016
 Place : Jagdalpur


 (HIRALAL NAYAK)
 Collector
 District Batar (C.G.)

वन अधिकारों के मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग स्तरीय समिति का बैठक कार्यवाही विवरण

छोगोरा विद्युत परियोजना कम्पनी मर्यादित, जगदलपुर के द्वारा ग्राम महुपाल बरई में निर्माणाधीन 400 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र के बाजू में 220/132 के०वी० उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि खसरा नंबर 97 रकबा 8.00 हेक्टेयर में से 0.81 हेक्टेयर, खसरा नंबर 98 रकबा 9.35 हेक्टेयर में से 1.04 हेक्टेयर, खसरा नंबर 171 रकबा 2.49 हेक्टेयर में से 0.75 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 173 रकबा 0.55 हेक्टेयर में से 0.08 हेक्टेयर छोटे झाड़ मव की भूमि को छोगोरा वि० पर० क० मर्या० जगदलपुर को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु Settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA) के तहत वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग स्तरीय समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी है।

(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्मचारी/अधिकारी के निर्वहन के नियम 2006 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत अनुविभाग स्तरीय बैठक दिनांक 10-10-2016 को आयोजित की गई जिसमें वन अधिकारों के मान्यता के तहत गठित अनुविभाग स्तरीय समिति के निम्न अधिकारी/सदस्यगण उपस्थित हुए:-

- 1-शुश्री लवीना पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी (रा०) वस्तर, अध्यक्ष
- 2-श्रीमती शंकुतला, कश्यप, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, वस्तर, सदस्य
- 3-श्रीमती दुर्गावती मारकंडे, जनपद पंचायत सदस्य वस्तर, सदस्य
- 4-श्री शीमाधर बघेल, जनपद पंचायत सदस्य बकावण्ड, सदस्य
- 3-श्री ~~हर~~ अनुविभागीय अधिकारी, वन, वस्तर, सदस्य
- 4-श्री घनश्याम जांगडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, वस्तर, सदस्य
- 5-श्री संजय चंदेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बकावण्ड, सदस्य
- 6-श्री अजय तिवारी, मण्डल संयोजक, वस्तर, सदस्य
- 7-श्री गोपाल सिंह कंवर, मण्डल संयोजक, बकावण्ड, सदस्य

उपरोक्त प्रयोजनार्थ उपर्युक्त स्तरीय समिति वस्तर की बैठक दिनांक 10-10-16 का अनुविभागीय अधिकारी (रा०) वस्तर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबंध में ग्राम पंचायत महुपाल बरई की ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव पर विचार किया गया।

(Signatures)

उपरोक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति/तथा अन्य परम्परागत वन निवासी खेती,आवास या अन्य किसी भी आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा अनुसूचित जनजाति व आदि वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदत्त नहीं किया गया है। अतः प्रस्तावित वन भूमि में छ0ग0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 जगदलपुर को समिति द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन करने हेतु सर्व सम्मति से अनुशंसा की जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
बस्तर

अनुविभागीय अधिकारी (जन)
बस्तर

श्रीकृष्ण कश्यप
जनपद पंचायत, बस्तर
अध्यक्ष

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, बस्तर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, बकावण्ड

मंडल संधीजक
जनपद पंचायत, बस्तर
बकावण्ड

जनपद सदस्य
बस्तर

जनपद सदस्य
बकावण्ड

Digitized by

Digitized by